भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 18
02 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के कदम

18. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत क्षेत्र और बीमा राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 2019 और 2022 के बीच इस योजना के तहत कवर किए गए किसानों की संख्या 9 प्रतिशत तक कम हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) जलवायु परिवर्तन से प्रेरित खेती की संवेदनशीलता के कारण फसल बीमा की मांग में वृद्धि के मद्देनजर योजना के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) एवं (ख): खरीफ 2016 से खरीफ 2019 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन के बाद से, आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 तक इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया था। इसके बाद वर्ष 2022-23 में भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य सरकार इस योजना में फिर से शामिल हो गई है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश में पिछले पांच वर्षों अर्थात 2018-19 से 2022-23 के दौरान नामांकित किसान आवेदनों, बीमित क्षेत्र और बीमित राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	नामांकित किसान आवेदन (लाखों में)	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	बीमित राशि (करोड़ में)
2018-19	24.46	22.98	14,439
2019-20	27.88	20.06	15,275
2020-21	कार्यान्वित नहीं किया गया		
2021-22	कार्यान्वित नहीं किया गया		
2022-23	125.24	35.71	30,294
कुल	**177.58**	**78.75**	**60,008**

दिनांक 31.12.2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।

वर्ष 2019-20 की तुलना में, आंध्र प्रदेश में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान किसान आवेदनों के नामांकन में 349% तक की वृद्धि हुई है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) तथापि, योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव और हितधारकों के विचारों तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जैसे:- (क) बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनी के चयन के लिए कार्यकाल को बढ़ाकर 3 वर्ष करना; (ख) तीन वैकल्पिक जोखिम मॉडलों को लागू करना यथा लाभ और नुकसान साझाकरण, कप और कैप (60-130), कप और कैप (80-110) जिसके तहत यदि कोई दावा नहीं बनता है तो राज्य द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य

के कोष में ही जाएगा; (ग) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग करके दावे को सीधे किसानों के खाते में जमा करने और दावे के निपटान के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) की शुरुआत, प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज आकलन प्रणाली (येस-टेक), मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम (विंड्स), फसलों के तत्काल अवलोकनों और फोटोग्राफ का संग्रहण (क्रोपिक), एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि अभिलेखों का एकीकरण, एनसीआईपी पर डिजिक्लेम मॉड्यूल का समावेश तथा सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग करके दावों को सीधे किसानों के खाते में अंतरित करना; (घ) योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन और कवरेज में सुधार करने के लिए आईईसी कार्यकलापों आदि में वृद्धि करना। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण, इस योजना के तहत कवरेज वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है और किसान बैंक ऋण लेने के बजाय स्वेच्छा से योजना की सदस्यता ले रहे हैं।

प्राप्त अनुभव, विभिन्न हितधारकों के विचारों के आधार पर और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने तथा योजना को और अधिक किसान अनुकूल बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर पीएमएफबीवाई के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र किसानों को समय पर और पारदर्शी रूप से लाभ पहुंचे।

****